

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

दिनांक 29/02/2024

पोभेछा/2023-24/1875

6 MAR 2024

सूचना

विषय:- छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 व एमपीटास के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों के आवास सहायता योजना (छात्रवृत्ति) के आवेदन जमा करने के संबंध में।

म.प्र. शासन की आवास सहायता योजना हेतु पात्र अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों को ऑन-लाइन आवेदन फार्म, आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईड www.scholarshipportal.mp.nic.in & www.mppias पर भरे जिसकी हार्ड निम्नलिखित दस्तावेजो सहित पोस्ट मेट्रिज छात्रवृत्ति विभाग (लेखा विभाग) में दिनांक 12/03/2024 तक जमा करें।

विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृती हेतु आदिवासी विकास कल्याण (आदिम जाति कल्याण विभाग) इन्दौर को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भेजा जावेगा। इस हेतु आवेदन के साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- 1) बैंक खाता नम्बर की पास बुक की फाटो कापी जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- 2) स्थायी जाति प्रमाण पत्र :- एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य।
- 3) उत्तीर्ण अंक सूची :- विगत दो वर्षों की अंक सूची की फोटो कापी।
- 4) आय प्रमाण पत्र हेतु अ) तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
ब) शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो अथवा वर्ष 2020-21 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनो कार्यरत है तो दोनो का अलग-अलग आय प्रमाण पत्र/ फाम नं. 16 ए।
- 5) मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- 6) एडमिशन स्लीप/चालान/अलॉटमेन्ट लेटर की छाया प्रति संलग्न करें।
- 7) मकान मालिक व किरायेदार का राशि रु 100/- के स्टाम पेपर (अनुसूचित जाति हेतु) पर शपथ पत्र (किराया नामा), प्रतिमाह किराये का बैंक धनादेश अथवा ऑन-लाइन भुगतान, मकान मालिक के बैंक खाते मे ही मान्य होगा, मकान मालिक की बैंक पास बुक, मकान मालिक के बिजली बील व आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
- 8) किरायेदार की पुलिस थाने द्वारा सत्यापित आवेदन की प्रतिलिपि व प्रति माह मकान मालिक द्वारा जारी किराये की रसीद।

कृपया समस्त विद्यार्थी सावधानी पूर्वक नोट कर अंतिम तिथि 12/03/2024 तक अपना आवेदन की हार्ड कापी संस्थान में जमा करें।

- प्रतिलिपि :- 1) समस्त नोटिस बोर्ड/होरटल
2) संस्थान की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक